बिहार सरकार
<u>आपदा प्रबंधन विभाग</u>

।। प्रेस नोट ।।

वर्ष 2019 में अनियमित एवं अल्प वर्षापात के कारण उत्पन्न गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुल 18 प्रभावित जिलों के कुल 102 प्रखण्डों जहाँ वर्षापात में 30 प्रतिशत से अधिक की कमी दर्ज की गयी है, के अन्तगत कुल 896 पंचायत जहाँ खरीफ फसल का 70 प्रतिशत से कम आच्छादन हुआ है, में ''तत्काल सहायता'' के रूप में 3000.00 (तीन हजार) रूपये प्रति परिवार नगद राशि उपलब्ध कराने एवं बिहार आकस्मिकता निधि से 900.00 (नौ सौ) करोड़ रूपय प्रावधानित करने की स्वीकृति दी गयी ह। परन्तु, यह सहायता वैसे पंचायतों में जहाँ माह जुलाई 2019 में आयी बाढ़ के आलोक में आनुग्रहिक राहत (GR) की राशि का वितरण हुआ हो, के लिए अनुमान्य नहीं होगी। यह राशि आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। जिला पदाधिकारियों के द्वारा प्रभावित पंचायतों की प्राप्त अनुमोदित सूची के आलोक में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा PFMS के माध्यम से प्रभावित परिवारों के बैंक खातों में राशि सीधे हस्तांतरित की जायेगी।

यह भी निर्णय लिया गया है कि गत वर्ष की तरह 15 अक्टूबर, 2019 की तिथि को आधार मानते हुए पुनः प्रखण्डों में तीन बिन्दुओं यथा, खेती की गयी जमीन में दरार उत्पन्न होने, अथवा फसलों में मुरझाने (wilting) का प्रभाव अथवा उपज में 33 प्रतिशत या उससे अधिक की कमी की समीक्षा के उपरान्त संबंधित प्रखण्डों को सूखाग्रस्त घोषित करते हुए क्षतिग्रस्त फसलों के लिए यथानुसार कृषि इनपुट अनुदान का वितरण किया जायेगा।

(प्रत्यय अमृत)
प्रधान सचिव